न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 38 / 2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. श्यामलाल पिता बद्रीलाल सुनार
2. नवरतनमल पिता बद्रीलाल सुनार
3. उमेश पिता गोपाललाल सुनार
4. ललिता पुत्री गोपाललाल सुनार
5. कोमल पुत्री गोपाललाल सुनार
6. सोनू पुत्री गोपाललाल सुनार
7. लालीदेवी बेवा गोपाललाल सुनार

सर्व निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवतीलाल पिता कजोडीमल ब्राहम्ण निवासी गलोदिया
2. प्रकाशचन्द्र पिता पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी गलोदिया
3. गोपाललाल पिता विजयराम जीनगर निवासी गंगापुर
4. प्रहलाद पिता शोभालाल सोमाणी निवासी गांगपुर

सर्व तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः– 15 / 07 / 2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 762 रकबा 0.12 हे0 763 रकबा 0.15 हे0 765 रकबा 0.21 हे0 821 रकबा 0.09 हे0 823 रकबा 0.17 हे0 827 रकबा 0.16 हे0 828 रकबा 0.18 हे0 भूमि कुल किता 07 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 347 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 2 लगायत 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीसंख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रमश....02

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :— 38/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 762 रकबा 0.12 हे0 763 रकबा 0.15 हे0 765 रकबा 0.21 हे0 821 रकबा 0.09 हे0 823 रकबा 0.17 हे0 827 रकबा 0.16 हे0 828 रकबा 0.18 हे0 भूमि कुल किता 07 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 550— (पॉच सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 550— (पॉच सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)